इलाहाबाद विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
राजभाषा अनुभाग

पत्रांक: रा.भा./वार्षिक कार्यक्रम/2019-20/ 1385 दिनांक: 08/05/2019 9

सूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 तथा माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है उन्हें हिंदी भाषा का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलवाया जाना एक अनिवार्य अपेक्षा है।

अत: इसी उदेश्य से विभाग/प्रकोष्ठ में कार्यरत सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान संबंधी जानकारी संलग्नक प्रोफार्मा में भरकर राजभाषा अनुभाग, इविवि को यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

नोट: प्रोफार्मा सभी के लिए अलग से प्रयोग किया जाए।

नरेन्द्र कुमार शुक्ल 9/5/2019

अध्यक्ष एवं कुलसचिव,
रा.भा.का.समिति

कुलसचिव
एवं
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रतिलिपि-:

1. समस्त अधिष्ठाता, इ.वि.वि.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, इ.वि.वि.
3. परीक्षा नियंत्रक, इ.वि.वि.
4. कुलानुशासक, इ.वि.वि.
5. पुस्तकालयाध्यक्ष, इ.वि.वि.
6. वित्त अधिकारी, इ.वि.वि.
7. आई सी टी सेल – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. जनसंपर्क अधिकारी,इ.वि.वि.
9. समस्त संयुक्त/सहायक कुलसचिव इ.वि.वि.
10. कुल अभियंता, इ.वि.वि.
11. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक
12. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदय को सादर सूचनार्थ

संतोष भदौरिया 08.5.2019

संयोजक, रासमिति .का.भा.,
इ.वि.वि.

समन्वयक राजभाषा कार्यान्वयन समिति
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
राजभाषा अनुभाग
RAJBHASHA CELL

हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान संबंधी प्रोफार्मा

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम : ....
2. पदनाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. हिंदी में योग्यता : ....
5. हिंदी भाषा में उत्तीर्ण की हुई उच्चतम् परीक्षा का उल्लेख करें। : ....
6. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान : ....
7. हिंदी में प्रवीणता : ....

हस्ताक्षर

घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त के आधार पर मुझे हिंदी में प्रवीणता* प्राप्त है/मैंने हिंदी का कार्यसाधक* ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

हिंदी में प्रवीणता

1. हिंदी में प्रवीणता – किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है यदि –

क. उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या इससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाकार उत्तीर्ण कर ली है।

अथवा

ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को उसने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था।

अथवा

ग. वह यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान

2. हिंदी का कार्ययाधक ज्ञान – किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :

क. मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है, अथवा

ख. केन्द्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की है, अथवा

ग. केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्धरित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, अथवा

घ. यदि वह यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।